न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2020/00030 **दायरा दिनांक : 02.03.2020**

उनवान

1– कमला बाई पुत्री श्री प्रभूलाल जी, पत्नि श्री सीताराम जी
2– सीताराम पुत्र रामनाथ जी
जाति धाकड, निवासी ग्राम बम्बोरी, तहसील अटरू, जिला बारां .... अपीलांट

बनाम

1– राधेश्याम आत्मज श्री चतरदास जी, जाति वैष्णव
2– दामोदर आत्मज श्री चतरदास जी, जाति वैष्णव
3– महावीर आत्मज श्री चतरदास जी, जाति वैष्णव
4– जुगराज आत्मज श्री चतरदास जी, जाति वैष्णव
निवासीगण ग्राम बम्बोरी, तहसील अटरू, जिला बारां
5– घनश्याम आत्मज श्री चतरदास जी, जाति वैष्णव, निवासी ग्राम बिछलास, तहसील अटरू, जिला बारां .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत एवं श्री अमृत मीणा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 16.07.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 137/2019 निर्णय दिनांक 05.12.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम एवं माल आटोन, तहसील अटरू की खाता संख्या 134 की खसरा नं. 1646/2250 का रकबा 0.36 हेक्टर, खसरा नं. 1648 का रकबा 3.18 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.54 हेक्टर आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व स्वामित्व में चली आ रही है, ग्राम एवं माल बम्बोरी, तहसील अटरू की खाता संख्या 25 की खसरा नं. 135 रकबा 0.18 हेक्टर व खाता संख्या 366 का खसरा नं. 145 रकबा 0.83 हेक्टर आराजी अप्रार्थी क्रम 1 के कब्जे काश्त व स्वामित्व में चली आ रही है एवं इसी प्रकार वाके ग्राम एवं माल बम्बोरी, तहसील अटरू की खाता संख्या 30 की खसरा नं. 144 रकबा 3.65 हेक्टर, खसरा नं. 253 रकबा 2.41 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 6.06 हेक्टर आराजी अप्रार्थी क्रम 2 के कब्जे काश्त व स्वामित्व में चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय दिनांक 05.12.2019 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। एक अवैध राजीनामे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अपीलांट नं. 1 कमलाबाई के खाते व कब्जे का खेत रेस्पोडेंट के खेत से करीब 3–4 फुट नीची है तथा अपीलांट नं. 1 के खेत खसरा नं. 144 एवं 145 एवं 135 में से होकर रेस्पोडेंट के खेतों में जाने का कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। रेस्पोडेंट ने कतई गलत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेंट ने अपीलांट नं. 2 एवं अपीलांट के पुत्र दिनेश को झूठे बलात्कार के मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर अपीलांट नं. 2 पर दबाव डालकर एक राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय में पेश करवाया जिसे आधार मानकर बिना कानूनी प्रकिया पूरी किये ही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है। अपीलांट नं. 2 ने इस दबाव डालकर गलत राजीनामा न्यायालय में पेश करवाने बाबत रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक रिपोर्ट पुलिस थाना अटरू एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, कोटा के समक्ष भी प्रस्तुत की है, जिसकी फोटो स्टेट प्रतिलिपी पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी तथ्य पर भी गौर नहीं फरमाया कि भूमि की खातेदार टीनेन्ट अपीलांट नं. 1 है तथा अपीलांट नं. 1 ही इस भूमि पर काबिज है। अपीलांट नं. 2 को अपीलांट नं. 1 की भूमि के बाबत राजीनामा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। उक्त तथाकथित राजीनामा अपीलांट नं. 1 की गैर मौजूदगी में अपीलांट नं. 1 की सहमति के बिना पेश किया गया है जिस पर अपीलांट नं. 1 के हस्ताक्षर भी नहीं है तथा अपीलांट नं. 1 ने कभी भी अपनी ओर से राजीनामा करने का अपीलांट नं. 2 को एवं अधिवक्ता को कोई अधिकार भी नहीं दिया है। इसलिए अपीलांट नं. 2 द्वारा पेश किया गया राजीनामा अपीलांट नं. 1 पर पाबन्द नहीं है। इस बिन्दु पर ध्यान दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अवैध राजीनामे के आधार पर आदेश जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में नियमानुसार रिपोर्ट मंगवाये बिना तथा मौके की जांच किये बिना ही रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अपीलांट नं. 2 पर दबाव की पुष्टि इस बात से भी होती है कि कानूनी प्रावधानों के विपरीत बिना मुआवजा भूमि में से नया रास्ता देने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये प्रार्थना पत्र को पढ़ने से प्रार्थना पत्र धारा 251 राज0 टी0 एक्ट के प्रावधानों के तहत रास्ता खुलासा करने बाबत प्रतीत होता है न कि नया रास्ता कायम करने का तथा इस प्रकार का प्रार्थना पत्र श्रवण करने का अधिकार तहसीलदार को है, उपखण्ड अधिकारी, के समक्ष यह प्रार्थना पत्र मेंन्टेनेबल ही नहीं था। इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है। इस आधार पर भी आदेश विदआऊट जुरिसडिक्शन होने से निरस्तनीय है। आदेश जैर अपील अवैध एवं विदआऊट जुरिसडिक्शन होने से अपील को अवधि मध्य मानकर श्रवणार्थ ग्रहण फरमाया जावे तथा अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर भी अपील को अन्दर मियाद मानकर अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय फरमाया जावे।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जैर अपील निरस्त फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। बसूरत दीगर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड फरमाते हुए अपीलांट को जवाब देही करने का सम्पूर्ण अवसर प्रदान कर बाद समाअत बहस प्रकरण का कानूनी प्रावधानों के अनुसार निस्तारण करने का निर्देश फरमाया जावे।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.02.2020 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि धारा 251 आर.टी.एक्ट रास्ते का खुलासा करने हेतु है और धारा 251 ए आर.टी. एक्ट नया रास्ता कायमी हेतु है। प्रकरण रास्ता खुलासा कराने का है अतः धारा 251 में अपील लगानी चाहिए। रास्ता खुलासा कराने हेतु धारा 251 में तहसीलदार को प्रार्थना पत्र देना चाहिए था। कमलाबाई का कोई राजीनामा नहीं है। उपखण्ड अधिकारी, अटरू को यह अधिकार नहीं था, रास्ते का खुलासा तहसीलदार के यहां से होना चाहिए। अतः अपील स्वीकार की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में 2015 (2) डी.एन.जे. (राज.) पेज 650, 1992 आर. आर.डी. पेज 117, 1992 आर.आर.डी. पेज 173, 2024 (1) आर.आर.टी. पेज 375, 2023(1) आर.आर.टी. पेज 486 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपील मियाद बहस पेश की गई है। रेस्पोडेंट खातेदार टीनेन्ट है। रास्ता खुलासा कराना है। अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हम न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की आराजी **खसरा नं. 144, खसरा नं. 145 एवं खसरा नं. 135** से रास्ता खुलासा कराने बाबत प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय प्रार्थी रेस्पोडेंट के पक्ष में कर रास्ता निःशुल्क दिये जाने के आदेश दिये गये।

प्रस्तुत प्रकरण में विधि का प्रश्न प्रकट होता है कि क्या धारा 251 (ए) में पुराने रास्ते का खुलासा कराया जा सकता है ? धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट नया रास्ता कायम करने हेतु है। प्रचलित रास्ता खुलासा करने का अधिकार धारा 251 में तहसीलदार को है। यहां 2015 (2) डी.एन.जे. राज. 650 राजस्थान हाई कोर्ट में दिया निर्णय पूर्णतः लागू होता है कि जहां विधि के स्पष्ट प्रावधान हो वहां उच्चाधिकारी में अधीनस्थ न्यायालय की शक्तियां निहित होने का सिद्धांत लागू नहीं होता। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता खुलासा करने के प्रकरण में धारा 251 (ए) में निर्णय कर क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो स्वयं मौका देखा गया, ना ही तहसीलदार या आई एल आर की रिपोर्ट प्राप्त की गई। अधीनस्थ न्यायालय को राजीनामा पेश होते समय भी यह देखना

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आवश्यक है कि राजीनामा क्षेत्राधिकार से बाहर तो नहीं है। अपीलांट कम 1 के हस्ताक्षर भी उक्त राजीनामे पर नहीं है।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा मियाद बाहर अपील होने का तथ्य प्रकट किया गया है। हमारी राय में प्रस्तुत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधि विरूद्ध तरीके से फैसल करने से मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध व त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2019 निरस्त किया जाता है। प्रकरण आर. टी. एक्ट धारा 251 का होने से तहसीलदार, अटरू को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई, स्वयं मौका निरीक्षण कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे तहसीलदार, अटरू में दिनांक 23.09.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा